# महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर
# छात्र–संघ संविधान

## संविधान

**संस्था का नाम** : छात्र–संघ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर
**छात्र–संघ कार्य क्षेत्र** : महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर एवं महानगर में विद्यार्थियों का आवासीय क्षेत्र

**परिभाषा :**

1. **छात्र** : छात्र का अर्थ विश्वविद्यालय के नियमित छात्र से है।
2. **शोध छात्र** : ''शोध छात्र'' का अर्थ है कोई भी विद्यार्थी, जो एम,फिल/पीएच.डी के लिए विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक शोध कार्य करने के लिए विधिवत नामांकित या पंजीकृत किया गया हो।

**लक्ष्य एवं उद्धेश्य :**

1. छात्रों की समस्त सृजनात्मक क्षमताओं की पहचान कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।
2. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन एवं परिसर संस्कृति को बनाये रखने में सहयोग करना।
3. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संवाहक के रूप में कार्य करना।
4. प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक देश–काल–परिस्थिति के अनुरूप इस विश्वविद्यालय को आधुनिक गुरूकुल के रूप में विकसित करने में सहयोग करना।
5. महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को विश्व की अग्रणी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानक शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने में सहयोग करना।
6. छात्रों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित और मजबूत करना। उन्हें लोकतान्त्रिक एवं अपने कर्तव्यों और अधिकारों में प्रशिक्षित करना।
7. समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए विश्वविद्यालय में बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण और अनुशासन उत्पन्न करना। सभी विद्यार्थियों को मुख्य धारा में भागीदार बनाना।
8. छात्रों के बीच सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के लिए कलात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना।
9. सामान्य, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा का आयोजन करना।
10. विश्वविद्यालय के अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं सहित विश्वविद्यालय एवं छात्रहित के लिए छात्र–संघ के कोष का उपयोग करना।
11. ऐसी उन समस्त गतिविधियों को सम्पादित करना जो छात्रहित, विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी, लोकल्याणार्थ एवं छात्र–संघ और माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तावित हो।

**महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय छात्र–संघ की कार्यकारिणी का स्वरूप :**

| क्र. सं. | पद | संख्या | पदेन/चुनाव |
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य संरक्षक | एक | मा0 कुलपति महोदय |
| 2 | निदेशक | एक | अधिष्ठाता छात्र कल्याण |
| 3 | अध्यक्ष | एक | विद्यार्थियों के द्वारा चुनाव के आधार पर |
| 4 | उपाध्यक्ष | एक | विद्यार्थियों के द्वारा चुनाव के आधार पर |
| 5 | महामंत्री | एक | विद्यार्थियों के द्वारा चुनाव के आधार पर |
| 6 | पुस्तकालय मंत्री | एक | विद्यार्थियों के द्वारा चुनाव के आधार पर |
| 7 | सदस्य | सभी विषयों/सभी वर्गो की संख्या के बराबर। | विद्यार्थियों में से योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक, उपस्थिति एवं शिक्षक द्वारा आचरण एवं व्यवहार पर 5 अंक में से दिये गये अंक के योग के आधार पर। |
| 8 | सदस्य–सचिव | एक | कुलसचिव |

## नियमावली

**महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय छात्र–संघ के अंग :**

'छात्र–संघ' के दो अंग होगें : क– कार्यकारिणी

ख– साधारण सभा

**कार्यकारिणी :**

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय छात्र–संघ में मुख्य संरक्षक, निदेशक, सदस्य सचिव सहित एक पद अध्यक्ष, एक पद उपाध्यक्ष, एक पद महामंत्री एवं एक पुस्तकालय मंत्री सहित कुल सात पदाधिकारी होगें। अध्यक्ष पद पर वही छात्र चुनाव लड़ सकता है जो विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में कक्षा प्रतिनिधि हो एवं विश्वविद्यालय में एक वर्ष का विद्यार्थी रह चुका हो। छात्र–संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के मतदान द्वारा होगा। किन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव कक्षा प्रतिनिधि ही लड़ सकते हैं।

**संकायों की छात्र–परिषद एवं कार्यकारिणी :**

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक संकाय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों एवं सभी कक्षाओं से एक–एक कक्षा प्रतिनिधि चुने जायेगें। इन कक्षा प्रतिनिधियों से मिलकर संकाय का छात्र–परिषद एवं कार्यकारिणी गठित होगी। कार्यकारिणी के सदस्य संकाय के अध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव करेंगे। जो विश्वविद्यालय छात्र–संघ का ही अंग होगी तथा उसके अधीन कार्य करेगी।

**छात्रावास की छात्र–परिषद एवं कार्यकारिणी :**

प्रत्येक छात्रावास के चालीस विद्यार्थियों के अनुपात में एक छात्रावास प्रतिनिधि का चुनाव होगा, जिसका चुनाव छात्रावास के सम्बन्धित विद्यार्थी करेगें। छात्रावास में वही विद्यार्थी प्रतिनिधि का चुनाव लड़ सकता है जो किसी विभाग/संकाय/कालेज में प्रतिनिधि न चुना गया हो। चुने हुये प्रतिनिधियों की छात्रावास परिषद होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव चुने हुये प्रतिनिधि में से ही चुनाव लड़ सकेगें और उनका चुनाव छात्रावास के चुने हुये प्रतिनिधियों के मतदान द्वारा होगा।

**कार्यकारिणी का चुनाव :**

छात्र–संघ के सदस्यों अथवा कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव छात्रों की शैक्षिक योग्यता में प्राप्तांक, उपस्थिति तथा प्राध्यापक द्वारा आचरण एवं व्यवहार पर 5 अंक में से दिए गये अंक के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्ति के आधार पर होगा। सभी पाठ्यक्रमों के प्राध्यापक अपनी–अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को अद्यतन पढ़ाये गये पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र देगें और उनमें से प्राप्त अंक, उपस्थिति तथा प्रध्यापक द्वारा आचरण एवं व्यवहार पर दिये गये अंक, के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उस कक्षा के उस वर्ग का प्रतिनिधि निर्वाचित कर दिया जायेगा।

इस प्रकार स्नातक–परास्नातक के तत्सम्बन्धी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष (जिस विषय/पाठयक्रम में जो लागू हो) के सभी पाठ्यक्रमों के सभी वर्गों से एक–एक सदस्य का निर्वाचन होगा। यही निर्वाचित सदस्य अपने–अपने संकाय में कार्यकारिणी के घटक होगें। तत्पश्चात निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों के मतदान द्वारा संकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महामंत्री का चुनाव किया जायेगा जो संकाय की छात्र–परिषद् कहलायेगी। यदि किसी संकाय में तीन से कम वर्ग होगें तो वह संकाय किसी अन्य सम्बन्धित दूसरे बड़े संकाय का अंग मान्ना जायेगा। इस प्रकार इन दोनों छोटे संयुक्त संकायों की संयुक्त संकाय छात्र–परिषद् होगी। छात्र–संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव विश्वविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थियों के मतदान द्वारा होगा।

**मनोनीत सदस्य :**

छात्र–सघं की कार्यकारिणी में विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक क्रिया–कलापों खेल–कूद आदि अन्य किसी भी आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में से प्रत्येक गतिविधि से एक–एक कर संरक्षक द्वारा कुल दो सदस्य मनोनीत किये जायेंगें। मनोनीत सदस्य छात्र–संघ में पदाधिकारी का चुनाव नहीं लड़ सकता।

**योग्यताएं :**

किसी भी पद के चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए–

1. छात्र–संघ के सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
2. वह पूर्व की सभी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया हो।
3. उम्मीदवार का कोई पिछला आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।
4. उम्मीदवार के विरुद्ध विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाई नहीं की गयी हो।

**मुख्य निर्वाचन अधिकारी :**

चुनाव प्रक्रिया निष्पादन हेतु एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, जिसे माननीय कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर/ऐसोसिएट प्रोफेसर होगा।

**चुनाव प्रक्रिया :**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव के पन्द्रह दिन पूर्व विश्वविद्यालय चुनाव की तिथि घोषित की जायेगी। चुनाव प्रक्रिया तीन दिनों में पूर्ण होगीं।

1. प्रथम दिन सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्र–संघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे। उसी दिन सायं 3 बजे से 5 बजे तक संकाय के छात्र–परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महामंत्री तथा छार्त्र–संघ हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री पद हेतु चुने हुये कक्षा प्रतिनिधि में से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन किया जायेगा। नामांकन एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक के साथ निर्धारित प्रारूप पर प्रत्याशी द्वारा किया जा सकेगा।
2. दूसरे दिन प्रातः 9 बजे से 10.30 बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस ली जा सकेगी। तत्पश्चात् 11 बजे से 12.30 बजे तक प्रत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जांच होगी। वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही निर्धारित समय एवं स्थान पर योग्यता भाषण सम्पन्न होगा। जिसमें प्रत्याशी साधारण सभा के समक्ष अपनी बात 10 मिनट में रख सकता है।
3. तीसरे दिन प्रातः 9 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मतदान होगा। अपराह्न 3 बजे से परिणाम आने तक मतगणना चलती रहेगी। मतगणना के पश्चात चुनाव अधिकारी उसी दिन चुने हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुरस्तकालय मंत्री को प्रमाण–पत्र दे देंगे।

**चुनाव आचार संहिता :**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा छात्र–संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे–

1. चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर, पर्चा, दिवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार का व्यय साध्य तरीका नहीं अपनायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा अपने सोशल प्लेटफार्म पर सभी प्रत्याशियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध रहेगा।
2. योग्यता भाषण का आयोजन प्रत्याशी के घोषण–पत्र जारी करने का माध्यम होगा।
3. कक्षाओं में उद्‌बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।
4. कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर कीसी प्रकार की आपत्ति होने पर माननीय कुलपति महोदय के पास अपील की जा सकेगी। मा0 कुलपति महोदय के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
6. वोट प्राप्ति के लिए जाति या सांप्रदायिक भावना की अपील नहीं होगी।
7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश आचार–संहिता का हिस्सा होगा।

**चुनाव शिकायत निवारण तंत्र :**

विश्वविद्यालय स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसके अध्यक्ष अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/छात्र कार्यकलापों का प्रभारी अध्यापक होगा, इसके साथ ही एक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व दो विद्यार्थी रहेगें, जिसके माध्यम से चुनाव में किसी भी प्रकार के शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।

**वापस बुलाने का अधिकार :**

1. किसी वर्ग से एक बार प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात यदि चुने हुए प्रतिनिधि की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होती है और विषय प्राध्यापक उनके पठन–पाठन एवं आचरण व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, तो वह उक्त कक्षा प्रतिनिधि को कक्षा प्रतिनिधि पद से हटा सकता है, किन्तु कक्षा प्रतिनिधि को हटाने से पूर्व छात्र–संघ के मुख्य संरक्षक (मा0 कुलपति महोदय) की अनुमति अनिवार्य होगी।
2. छात्र–संघ कार्यकारिणी भी दो तिहाई बहुमत से किसी प्रतिनिधि अथवा पदाधिकारी को छात्र–संघ के अनुरूप आचरण न करने पर हटा सकती है। इस हेतु निर्णयात्मक मतदान निदेशक की अध्यक्षता में होगा।
3. छात्र–संघ के सदस्यों/कक्षा प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की छात्र–संघ की कार्यकारिणी की बैठकों में उपस्थिति आवश्यक होगी। लगातार तीन बैठकों में बिना

किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कक्षा प्रतिनिधि/छात्र–संघ की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. कक्षा प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त होने पर छात्र–संघ के पदाधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री पद पर उस प्रतिनिधि का चुनाव भी शून्य हो जायेगा।

**कार्यकारिणी के अधिकार, कर्तव्य तथा बैठकें :**

**सकांय कार्यकारिणी** – सकांय कार्यकारिणी अपने संकाय से सम्बन्धित समस्याओं, विद्यार्थियों के व्यवहार, पठन–पाठन की स्थिति पर नजर रखेगी एवं अपनी बैठकों में विचार–विमर्श कर तैयार प्रस्ताव विश्वविद्यालय छात्र–सघं की साधारण सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। संकाय कार्यकारिणी की बैठक संकायाध्यक्ष की सहमति से संकाय का मंत्री बुलायेगा। बैठक के लिए संकायाध्यक्ष की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

**छात्र–संघ कार्यकारिणी** – विश्वविद्यालय छात्र–संघ कार्यकारिणी छात्र–संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदैव सक्रिय रहेगी। छात्र–संघ की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषयों के अतिरिक्त देश–दुनियाँ के सम–सामायिक मुद्दों, अपने देश के शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक,

आर्थिक स्थिति के विविध पक्षों पर चर्चा–परिचर्चा होगी तथा प्रस्ताव के माध्यम से छात्र–संघ उपरोक्त मुद्दों पर अपना मत भी प्रकट करेगा। छात्र–संघ के वार्षिक बजट का प्रस्ताव कार्यकारिणी सर्वसम्मत/बहुमत से बनायेगी, जिसे साधारण सभा में प्रस्तुत कर पास कराना अनिवार्य होगा।

**साधारण सभा : अधिकार, कर्तव्य तथा बैठकें** – विश्वविद्यालय के सभी संस्थागत विद्यार्थी साधारण सभा के सदस्य होगें। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक इस साधारण सभा के विशिष्ट सम्मानित सदस्य रहेगें। विश्वविद्यालय में स्नातक/परास्नातक अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों की सदस्यता विश्वविद्यालय की परीक्षा देने के तत्काल बाद समाप्त मान ली जायगी, किन्तु छात्र–सघं के पदाधिकारी छात्र–सघं के नयी कार्यकारिणी के गठन तक छात्र–संघ के पदाधिकारी माने जायेगें। मतदान का अधिकार सभी संस्थागत विद्यार्थियों को होगा।

छात्र–संघ की साधारण सभा छात्र–संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदैव सक्रिय रहेगी। उसकी बैठकों में पारित प्रस्ताव मुख्य संरक्षक (मा0 कुलपति महोदय) क्रियान्वित करेगें। छात्र–संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी। साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक करेंगे तथा संचालन छात्र–संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। उक्त बैठक में निदेशक एवं प्राध्यापक उपस्थित रहेंगें। साधारण सभा की बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषयों के अतिरिक्त देश–दुनियॉ के अन्य समसामयिक विषयों, देश–समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों, देश की शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर चर्चा–परिचर्चा भी की जायेगी तथा साधारण सभा उपरोक्त विषयों पर प्रस्ताव के माध्यम से अपना मत प्रकट करेगी। साधारण सभा छात्र–संघ कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को बहुमत से स्वीकृति प्रदान करेगी। छात्र–संघ के वार्षिक बजट का अनुमोदन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।

छात्र–संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख समितियों के सदस्य होगें। छात्र–संघ कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से सभी प्रमुख समितियों में सदस्य नामित कर उनकी सूची अध्यक्ष द्वारा मुख्य संरक्षक/कुलपति को दिया जायेगा। सभी समितियों की बैठक महीने में एक बार आवश्यक होगी। बैठक की संक्षिप्त रपट छात्र–संघ की साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छात्र–संघ पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक दिन विश्वविद्यालय परिसर में श्रमदान अनिवार्य होगा।

छात्र–सघं पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को पुस्तकालय से तीन अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त हो सकेंगीं। इन्हें पुस्तकालय से परीक्षा का प्रवेश पत्र लेते समय अनापत्ति लेना आवश्यक नहीं होगा। ये अपनी सभी पुस्तकें सम्बन्धित प्रश्नपत्र की परीक्षा के दिन तक जमा कर सकते हैं। किन्तु इस निर्धारित तिथि तक पुस्तक जमा न करने पर आर्थिक दण्ड के साथ उन्हें विश्वविद्यालय की समस्त सुविधाओं से वंचित होना होगा तथा आगे कभी भी वे छात्र–संघ पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि नहीं बन सकेगें।

**कार्यकाल** – विश्वविद्यालय छात्र–संघ का कार्यकाल एक वर्ष होगा। प्रत्येक सत्र में 05 सितम्बर तक छात्र–संघ का गठन तथा 10 सितम्बर तक शपथ ग्रहण कराना अनिवार्य होगा। शपथ ग्रहण के बाद ही चुनी हुयी कार्यकारिणी वैधानिक मानी जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक छात्र–संघ का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। किन्तु यदि छात्र–संघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल दिखता है, विश्वविद्यालय के पठन–पाठन एवं सुव्यवस्था स्थापित करने में अपनी समर्थता सिद्ध नहीं कर पाता तथा स्वयं समस्या उत्पन्न करता हो तो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के व्यापक हित में मुख्य संरक्षक छात्र–संघ को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकता है तथा उसका आदेश तुरंत प्रभावी माना जायेगा।

**शपथ–ग्रहण :**

चुनाव के पश्चात छात्र–संघ के मुख्य संरक्षक सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को शपथ–ग्रहण करायेंगें। शपथ ग्रहण के पश्चात ही छात्र–संघ की कार्यकारिणी वैधानिकता प्राप्त करेगी।

**शपथ प्रारूप :**

मैं, ..... सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं, छात्र–संघ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के संविधान की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करूंगा। मैं बिना भय और पक्षपात के मेरी क्षमता और छात्र–संघ के संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा अथवा किसी भी ऐसी

गतिविधि में शामिल नहीं होऊँगा जो विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और हित के लिए हानिकारक हो सकती है।

**कोष :** छात्र–संघ का एक कोष होंगा। विद्यार्थियों से 100 रू. छात्र–संघ शुल्क लिया जायेगा। छात्र–संघ के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होगा। खाते का संचालन महामंत्री, निदेशक एवं कुलसचिव महोदय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। प्रतिवर्ष का आय–व्यय का अंकेक्षण अनिवार्य होगा और प्रत्येक सत्र की पहली साधारण सभा में आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत कर उस पर साधारण सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी। आय–व्यय का विवरण एवं अंकेक्षण छात्र–संघ महामंत्री के जिम्मे होगा।

**संविधान में संशोधन एवं परिवर्तन :**

साधारण सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा छात्र–संघ संविधान में यदि किसी संशोधन या परिर्वतन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और दो तिहाई बहुमत से पारित होता है, ऐसी दशा में छात्र–संघ संविधान में संशोधन एवं परिवर्तन हेतु मुख्य संरक्षक द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें मुख्य संरक्षक की अध्यक्षता में सभी छात्र–संघ पदाधिकारी, मुख्य नियन्ता सदस्य होंगे। यह समिति 15 दिन के अन्दर बैठक कर सर्वसम्मति अथवा बहुमत से सुझाये गये संशोधनों अथवा परिवर्तनों पर विचार कर सर्वसम्मति अथवा बहुमत से निर्णय लेकर संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रारूप निर्धारित करेगी। यह निर्धारित प्रारूप अगली छात्र–संघ की साधारण सभा में प्रस्तुत किया जायेगा और पुनः दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होने पर ही छात्र–संघ संविधान का अंग बनेगा।

**********

छात्र–संघ संविधान निर्माण समिति द्वारा सभी घटक दल यथा शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक से व्यापक विचार–विमर्श कर बनाया गया छात्र–संघ संविधान आज दिनांक 5 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया।

**छात्र–संघ संविधान निर्माण समिति**

05/08/2023

(डॉ. विमल कुमार दूबे)
अधिष्ठाता,
कृषि विज्ञान एवं संबद्ध उद्योग संकाय
**अध्यक्ष**

(डॉ. डी. एस. अजीथा)
प्राचार्या
गुरू श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग
**सदस्य**

(डॉ. मंजूनाथ एन.एस)
प्राचार्य,
गुरू गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंडिकल साइंसेस
**सदस्य**

5/8/2023

(डॉ. सुनील कुमार सिंह)
अधिष्ठाता
सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान
**सदस्य**

5/8/23

(डॉ. प्रदीप कुमार राव)
कुलसचिव
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर
**सदस्य–सचिव**